

न्यूज़ टुडे

उच्चतम न्यायालय ने “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 (PoSH 2013)” के दायरे का विस्तार किया

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जब किसी महिला का कार्यस्थल पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है, जो उसके अपने संगठन का हिस्सा नहीं है, तो वह अपनी शिकायत अपने ही कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के समक्ष दर्ज कराने की हकदार है।

► इस निर्णय (सोहैल मलिक मामले) का महत्व: यह फैसला पीड़ित महिला के कार्यस्थल पर गठित ICC को किसी दूसरे कार्यस्थल के कर्मचारी पर भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 (PoSH 2013) के बारे में

- PoSH अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने, प्रतिबंधित करने और उनका निवारण करने पर केंद्रित है।
- ⊕ यह अधिनियम 1997 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
- दायरा: इसके दायरे में सभी पीड़ित महिलाओं को शामिल किया गया है, भले ही उनकी आयु या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो तथा चाहे वे संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हों या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में। इसके अलावा क्लाइंट, कस्टमर और घरेलू सेविकाओं को भी शामिल किया गया है।
- यौन उत्पीड़न: इसमें यौन रूप से अवाञ्छित कृत्यों या व्यवहारों को यौन-उत्पीड़न माना गया है। ऐसे कृत्य या व्यवहार प्रतिकूल या भय उत्पन्न करने वाला कामकाजी परिवेश निर्मित करते हैं।
- विस्तारित ‘कार्यस्थल’ की परिभाषा: यह सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है, जिनमें सरकारी, निजी और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। साथ ही कोई भी संगठन, संस्था, उपक्रम, प्रतिष्ठान, अस्पताल, घर, या नियोजन के द्वारा कर्मचारी द्वारा द्वारा किया गया कोई भी स्थान, जिसमें परिवहन भी शामिल है।
- आंतरिक शिकायत समिति (ICC): अधिनियम में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक ICC को अनिवार्य किया गया है।
- स्थानीय समिति (LC): 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों या स्वयं नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा।
- दंड: अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड में अर्थिक जुर्माना या नियोजन समाप्त करना शामिल हो सकता है।

भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल-सेल यात्री पोत का वाराणसी में शुभारंभ हुआ

यह पोत समुद्री-उपयोग के लिए विकसित हाइड्रोजन फ्यूल-सेल प्रणाली पर संचालित होता है। इसमें पूरी तरह स्वदेशी ‘लो टेम्परेचर-प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (LT-PEM)’ फ्यूल सेल का उपयोग किया गया है।

प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल (PEMFC) के बारे में


- यह हाइड्रोजन का दहन किए बिना, केवल एक मेम्ब्रेन की मदद से विद्युत उत्पन्न करता है।
- इसकी कार्य-प्रणाली एक विद्युत-रासायनिक अभिक्रिया (Electrochemical reaction) पर आधारित है।
- इस कार्य-प्रणाली के तहत, हाइड्रोजन एनोड में प्रवेश करता है, जहाँ एक उत्प्रेरक उसे प्रोटॉन्स (H^+) और इलेक्ट्रॉन्स (e^-) में विभाजित करता है।
- प्रोटॉन्स, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं गुजर पाते।
- इलेक्ट्रॉन बाह्य सर्किट से होकर प्रवाहित होते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है।
- प्रोटॉन्स कैथोड तक पहुँचते हैं, जहाँ वायु से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है।
- ‘प्रोटॉन + इलेक्ट्रॉन + ऑक्सीजन’ कैथोड पर संयोजित होकर जल और आंशिक माला में ऊष्मा बनाते हैं।

PEMFC के लाभ

- शून्य उत्सर्जन: इस पूरी प्रक्रिया में उप-उत्पाद (Byproduct) के रूप में केवल जल निर्मुक्त होता है।
- यह फ्यूल सेल उच्च विद्युत घनत्व उत्पन्न करता है। साथ ही, अन्य फ्यूल सेल्स की तुलना में यह कम-वजनी और कम आयतन वाला फ्यूल सेल है।
- तेजी से संचालन: यह कम तापमान पर कार्य करता है, इसलिए कम समय में संचालित होने लगता है। यह विशेषता इसे दैनिक परिवहन साधनों के लिए उपयुक्त बनाती है।
- शोर-रहित: इसमें कोई गतिशील पार्ट्स नहीं होते, इसलिए शांतिपूर्ण और शोर-रहित परिवहन की सुविधा देता है।
- उच्च दक्षता: यह हाइड्रोजन को सीधे विद्युत में बदलता है। इसलिए अन्य दहन इंजनों (Combustion engines) की तुलना में यह अधिक उपयोगी और प्रभावी है।

कुछ प्रमुख चुनौतियां

- इसमें लगाने वाले पदार्थों की उच्च लागत: विशेषकर प्लैटिनम जैसे महंगे उत्प्रेरक पदार्थ के उपयोग की वजह से इस प्रौद्योगिकी की लागत अधिक हो जाती है।
- स्वच्छ हाइड्रोजन की उपलब्धता: स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन में अधिक ऊर्जा की खपत हो सकती है।
- अधिक समय तक उपयोग में रहने से जुड़ी चिंता: उच्च दबाव की स्थितियों में समय के साथ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का क्षरण (degradation) हो सकता है।



विश्व बैंक की "विश्व विकास रिपोर्ट 2025: विकास के लिए मानक" जारी की गई

यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का बढ़ता संजाल (वेब) वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रूप दे रहा है। इससे उन समृद्ध देशों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिल रहा है, जो इन मानकों को तय करती हैं, लेकिन कई विकासशील देश वंचित होते जा रहे हैं।


- मानक (Standards) वे साझा नियम हैं, जो प्रणालियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों में सुसंगति (Consistency), अनुकूलता (compatibility) और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।

मानकों का महत्व

- आर्थिक विकास के लिए: मानक वास्तव में व्यापार की लागत कम करते हैं और अलग-अलग देशों के नियमों में सामंजस्य सुनिश्चित करते हैं। इस तरह ये व्यापार को बढ़ावा देते हैं, नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और उद्योगों के व्यापक विस्तार में मदद करते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए: ये राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करते हैं तथा प्रौद्योगिकी, वित्त व पर्यावरण से जुड़े खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- सामाजिक विकास के लिए: गुणवत्तापूर्ण मानक शिक्षा और स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं में सुधार सुनिश्चित करके इन सेवाओं को अधिक उपयोगी तथा किफायती बनाते हैं।
- उदाहरण के लिए: भारत में अस्पतालों में बच्चों के जन्म के समय आवश्यक वस्तुओं यानी चेकलिस्ट से जुड़े मानकों ने मातृ मृत्यु दर को लगभग 47% तक कम किया।
- सुशासन के लिए: स्पष्ट मानक-आधारित भर्ती प्रक्रिया और सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं की खरीद प्रक्रिया भ्रष्टाचार और व्यवस्था में कुप्रबंधन को कम कर सकती है।

मानकों से जुड़ी चुनौतियां

- व्यापार युद्धों में 'हथियार' के रूप में उपयोग: व्यापार से जुड़े कई मानक अब गैर-प्रशुल्क व्यापार बाधाओं (non-tariff measures) का आधार बनते हैं। इन मानकों में उत्पादों में कीटनाशक के उपयोग या इनकी अवशिष्ट मात्रा से जुड़े मानदंड या लेबलिंग की आवश्यकता शामिल है।
- अब ये मानक 90% वैश्विक व्यापार को प्रभावित करते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में केवल 15% वैश्विक व्यापार ही इनसे प्रभावित होते थे।
- विकासशील देशों का कम प्रतिनिधित्व: विकासशील देशों का वैश्विक मानकों का निर्धारक 'अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)' की तकनीकी समितियों में औसतन एक-तिहाई से भी कम प्रतिनिधित्व है।



नीति आयोग ने भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार को मजबूत करने पर रिपोर्ट जारी की

कॉर्पोरेट बॉण्ड्स क्रण लिखत (debt instruments) होते हैं। इन्हें निजी और सार्वजनिक निगमों (corporations) द्वारा व्यवसाय विस्तार, अवसंरचना या समग्र व्यावसायिक विकास जैसे उद्देश्यों के लिए वित्त-पोषण जुटाने हेतु जारी किया जाता है।

कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार (CBM) की भारत में स्थिति

- यह अब भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 15-16% है। हालांकि, यह दक्षिण कोरिया (79%), मलेशिया (54%) और चीन (38%) जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।
- भारत का CBM वित्त वर्ष 2015 के ₹17.5 ट्रिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹53.6 ट्रिलियन हो गया। यह लगभग 12% वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।

कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के विकास में चुनौतियां

- एक से अधिक विनियामक: कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार का विनियमन SEBI, RBI और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) सहित कई विनियामकों द्वारा किया जाता है।
- व्यापक प्रकटीकरण आवश्यकताएं: विशेष रूप से कम रेटिंग वाले या कभी-कभार जारी करने वालों के लिए जरूरी होता है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) फ्रेमवर्क में कमियां: 'जारीकर्ता-भुगतान मॉडल' के कारण हितों का टकराव, बॉण्ड जारी करने में बाधाएं आदि।
- अन्य: बॉण्ड जारी करने की उच्च लागत, सूचना संबंधी विषमताएं और द्वितीयक बाजार का अभाव।

आगे की राह

3-चरणीय समाधान:

- चरण-I: कानूनी और विनियामक स्पष्टता बढ़ाने के लिए अंतर-एजेंसी नियमों को सुव्यवस्थित करना चाहिए, प्रकटीकरण मानदंडों को और मानकीकृत करना चाहिए तथा बॉण्ड जारी करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए।
- चरण-II: IBC (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) की प्रभावशीलता में सुधार करके, उत्पाद नवाचार को बढ़ावा देकर, और निम्न रैंकिंग वाले बॉण्ड के लिए बेहतर वाजार पहुंच को सक्षम करके दिवाला एवं समाधान प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए।
- चरण-III: गहन बाजार एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए, एक स्वतंत्र बॉण्ड बाजार विनियामक की व्यवस्था करनी चाहिए, और एक डिजिटल प्रणाली का विकास करना चाहिए।

विकसित कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के लाभ			
	वित्त-पोषण के स्रोतों का विविधीकरण		बाजार में बचत
कंपनियों का लिए बैंक ऋण पर निर्भरता कम होती है। उन्हें वित्त के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त होता है।	संस्थागत व पारिवारिक बचतों का बाजार में निवेश (बॉण्ड खटीदान) होने लगता है।	वित्तीय बाजार को मजबूत करता है जिससे बॉण्ड का उचित मूल्य निर्धारण होता है और जोखिम से निपटने में मदद मिलती है।	मक्षम बाजारों के माध्यम से ऋण लेने की लागत घट जाती है।
	वर्द्धनीय ऋण		

अन्य सुर्खियां



संयुक्त राष्ट्र चैपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार

तमिलनाडु की एक IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को भारत में प्लास्टिक और वन्यजीव संरक्षण सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों पर उनके अग्रणी नेतृत्व के लिए चैपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया।

‘चैपियंस ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है।
- यह पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष दिया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) जलवायु परिवर्तन, प्रकृति व जैव विविधता के नुकसान तथा प्रदूषण व अपशिष्ट के ‘तीहरे ग्रहीय संकट’ (triple planetary crisis) से निपटने के लिए अभिनव और सतत समाधानों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करता है।



प्रोजेक्ट सनकैचर

गूगल के CEO ने घोषणा की है कि कंपनी ने दीर्घकालिक अनुसंधान पहल, प्रोजेक्ट सनकैचर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। यह पहल अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संचालित डेटा केंद्रों को स्थापित करने पर केंद्रित है।

प्रोजेक्ट सनकैचर के बारे में

- यह गूगल की एक पहल है। इसका उद्देश्य निम्न भू-कक्षा में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष में मशीन लर्निंग (LM) कंप्यूटिंग की संभावनाओं का परीक्षण करना है।
- प्रत्येक उपग्रह में गूगल के कस्टम-बिल्ट टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) चिप्स लगाए जाएंगे।

► लाभ:

- ⊖ पृथ्वी-आधारित डेटा केंद्रों के पर्यावरणीय प्रभाव से बचाव होगा।
- ⊖ अंतरिक्ष में स्थापित डेटा केंद्रों को विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध होने या कटने, समुद्र के नीचे की केबल्स के कटने और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- ⊖ यह पहल डेटा संप्रभुता को सुविधाजनक बनाएगी, क्योंकि 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत बाहरी अंतरिक्ष किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है।



रत्ने परियोजना

किश्तवाड़ में रत्ने परियोजना पर निर्माण कार्य बंद होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है।

रत्ने जलविद्युत परियोजना के बारे में

- यह चेनाब नदी पर एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है।
- ⊖ चेनाब नदी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा धाराओं से मिलकर बनती है।
- अवस्थिति: जम्मू और कश्मीर (J&K) के किश्तवाड़ ज़िले में।
- क्षमता: 850 मेगावाट (MW)।



सुपरनोवा

हाल ही, में NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने अब तक दर्ज किए गए सबसे शुरुआती सुपरनोवा में से एक का अवलोकन किया है।

JWST के बारे में

- ⊖ यह NASA, यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक सहयोग है। इसका कार्य शुरुआती ब्रह्मांड को समझना है।
- ⊖ यह दूसरे लैग्रेज बिंदु (L2) पर सूर्य की परिक्रमा करता है। यह मुख्य रूप से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है।

सुपरनोवा के बारे में

- सुपरनोवा अंतरिक्ष में किसी तारे में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है:

- ⊖ “कोर-कोलैप्स” सुपरनोवा: जब किसी विशाल तारे (सूर्य के आकार का 5-8 गुना) का परमाणु ईंधन समाप्त हो जाता है, तो वह ठंडा होने लगता है। इससे बाहर की ओर दबाव काफी कम हो जाता है।
 - जब दबाव गुरुत्वाकर्षण का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, तो तारा ढह जाता है। यह अपने पीछे एक सघन कोर एवं गर्म गैस का बादल, यानी निहारिका (nebula) छोड़ जाता है।
 - यदि तारा सूर्य से लगभग 10 गुना बड़ा था, तो वह अपने पीछे ब्लैक होल छोड़ सकता है।
- ⊖ थर्मल रनअवे सुपरनोवा: यह तब बनता है, जब एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले 2 तारे {कम-से-कम 1 श्वेत वामन (White Dwarf) हो} आपस में टकराते हैं, या जब श्वेत वामन पास के किसी तारे से बहुत अधिक पदार्थ खींच लेता है।
 - श्वेत वामन लगभग हमारे सूर्य के आकार के तारे का अवशेष होता है। यह तब बनता है, जब उस तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है।



चराइचुंग महोत्सव

असम का माजुली द्वीप एशिया के प्रथम संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराइचुंग महोत्सव की मेजबानी कर रहा है।

- यह महोत्सव ‘चराइचुंग’ की 392 वर्ष पुरानी विरासत की याद दिलाता है। 1633ई. में अहोम राजा स्वगंदिव प्रताप सिंह ने एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य ‘चराइचुंग’ की स्थापना की थी।

माजुली के बारे में

- माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।





शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय

यूनेस्को ने “शिक्षा का अधिकार: अतीत, वर्तमान और भविष्य” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें यूनेस्को शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय, 1960 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

‘शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय’ के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 1960 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था।
- **वैधानिकता:** यह पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार के प्रति समर्पित पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है।
- **अधिकार और दायित्व:** यह शिक्षा की एक मूल मानवाधिकार के रूप में पुनः पुष्टि करता है और राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि:
 - ⊖ वे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करें;
 - ⊖ सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा सुलभ और उपलब्ध कराएं; तथा
 - ⊖ व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर सभी के लिए उच्चतर शिक्षा समान रूप से सुलभ कराएं।
- यह शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।

- भारत ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन (Ratify) नहीं किया है।



सुर्खियों में रहे स्थल



मेक्सिको (राजधानी: मेक्सिको सिटी)

मेक्सिको ने भारत सहित अपने गैर-अधिमान्य व्यापार भागीदारों (non-preferential trade partners) से आयात पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की।

मेक्सिको के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
 - ⊖ स्थलीय सीमाएँ: संयुक्त राज्य अमेरिका (उत्तर), ग्वाटेमाला (दक्षिण-पूर्व), और बेलीज (दक्षिण-पूर्व)।
 - ⊖ समुद्री सीमाएँ: प्रशांत महासागर (पश्चिम), मेक्सिको की खाड़ी/ अमेरिका की खाड़ी (पूर्व)।
 - ⊖ सदस्यता: मेक्सिको संयुक्त राष्ट्र, G20, OECD आदि संगठनों का सदस्य है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
 - ⊖ प्राकृतिक संसाधन: पेट्रोलियम, चांदी, एंटीमनी, तांबा, सोना, सीसा, जस्ता, प्राकृतिक गैस, लकड़ी आदि।
 - ⊖ प्रमुख पर्वत शृंखलाएँ: सिएरा माद्रे।
 - ⊖ प्रमुख नदियाँ: रियो ग्रांडे आदि।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर